

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016—श्रावण 21, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्र. एफ 9-26-98-पैतालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, हेलीकाप्टर/विमान किराये पर लेने संबंधी नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन

करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 2 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“2. राज्य शासन अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ऐसी अवधि, जैसी वह उचित समझे, के लिये विमान/हेलीकाप्टर किराये पर ले सकेगा. ऐसे किराए पर विमान/हेलीकाप्टर लेने के लिये आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाहियां करने के लिये, राज्य शासन, संचालक, विमानन को अधिकृत कर सकेगा.

No. F-9-26-98-XLV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Hiring of Helicopter/Aeroplane Rules, 1999, namely:—

AMENDMENT

1. In the said rules, rule (2), for existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“2. The State Government may keeping in view its needs and the circumstance thereof hire helicopter/ aeroplane for such period of time, as it deems appropriate. The State Government shall authorise Director, Aviation to take necessary administrative action for this purpose.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद दुबे, उपसचिव.